तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इजिशिल्यस जज **अणदी बनाम हरिंगा वगैरह, मु. न. :–08/2013**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख के जारी हुये
13.05.2024		

अधिवक्ता प्रार्थीयागण ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा खारा के खेत खसरा संख्या 665, 666, 704, 723, 724, 746/1336 रकबा क्रमशः 0.04 है, 2. 30 है, 1.82 है, 0.76 है, 0.76 है, 0.17 है, जूमले रकबा 5.85 हैक्टेयर आई हुई है इसी प्रकार मौजा वोढा में भी सांवता पुत्र मोती के पुश्तैनी भूमि जो सांवता के फौते होने पर प्रार्थीयागण के ससूर/दादा को जरिये उताराधिकारी प्राप्त हुई। जिसमें प्रार्थीयागण के ससुर/दादा को उनके पिता सांवता पुत्र मोती के फौत होने पर जरिये उतराधिकार प्राप्त हुई। ऐसी पुश्तैनी भूमि पर खातेदार का अधिकार एक ट्रस्टी जैसा होता है जिसे बेचान करने का अधिकार कतई नहीं है। वादग्रस्त भूमि मौजा खारा व वोढ़ा की आराजी में मौजा वोढ़ा की भूमि संपूर्ण हरींगा ने अपने नाम दर्ज होने बाद बेचान कर दी, अपने हिस्से से भी ज्यादा बेचान की है। मौजा खारा की भूमि में हरिंगा का राजस्व रेकर्ड में नाममात्र है मौजा खारा की 5.85 है भूमि हरींगा पुत्र सांवता के नाम खाता संख्या 379 के जरिये दर्ज है उसमें हरींगा का हिस्सा नहीं है क्योंकि हरींगा ने अपना संपूर्ण हिस्सा वोढ़ा की भूमि बेचान कर खत्म कर दिया है। प्रार्थीया संख्या 2 की शादी हो जाने से अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य अप्रार्थी सख्या 2 लगायत 7 सभी पिता–पति की भूमि उनके फौत होने की स्थिति में हड़प करना चाहते है प्रार्थीया के पति फौत होने के पश्चात अलग होते हुए भी शामिल परिवार में लाये उसके बाद प्रार्थीया को घर छोड़कर जाने को कहने लगे प्रार्थीया की उम्र–60 वर्ष हो चुकी है, अब प्रार्थीया कहां जाये, प्रार्थीया के ससुर ने कहा कि पूरी जमीन बेचान कर दूंगा तथा कुछ भूमि बेचान कर दी है। अप्रार्थीगण मेरे हिस्से की भूमि जहां प्रार्थीया की वर्षो पूरानी ढाणी बनी हुई है तथा परिवार सहित निवास करती है। प्रार्थीया के ससूर/दादा बेचान करने पर आमादा है व प्रार्थीया को अपने पुश्तैनी अधिकारों से वंचित कर रखा है। वादग्रस्त आराजी वरिंगा पुत्र सावंता के नाम खातेदारी दर्ज है जो सांवता के फौत होने पर प्राप्त हुई है। प्रार्थीया उनकी पुत्रवुध/पोती है तथा अप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजी को बेचान करने पर आमादा है, ऐसा करने का अप्रार्थीगण को कोई विधिक अधिकार नहीं है इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनों मूलभूत कानूनी स्तम्भ प्रार्थीयागण के पक्ष में होने से प्रार्थीयागण अस्थायी निषेधाज्ञा पाने की हकदार होने से प्रार्थीयागण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीयागण का प्रार्थना–पत्र गलत मनगंढत एवं सारहीन होने से प्रार्थीयागण का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली–भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया, अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सुविधा का संतुलन प्रार्थीयागण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीयागण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kum
Date: 2024.06.07 17:38:20 IST
Reason: SelfAttested

:– आदेश :–

अतः प्रार्थीयागण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा खारा के खेत खसरा संख्या 665, 666, 704, 723, 724, 746/1336 जूमले रकबा 5.85 है. भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर मुल वाद के साथ नत्थी हो।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर
फास्ट–ट्रेक साचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) साचौर